

दिनांक 01.03.2013 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में सचिव उद्योग की अध्यक्षता में कलस्टर विकास से सम्बन्धित योजनाओं के अनुश्रवण हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. श्री ए0पी0 सिंह, सचिव उद्योग, उद्योग विभागा, झारखण्ड, राँची
2. निदेशका, हस्तकरघा रेशम एवं हस्त शिल्प निदेशालय, झारखण्ड, राँची
3. प्रबन्ध निदेशक, झारकाफ्ट, रातु रोड, राँची ।
4. निदेशक, MSME, न्यू रियाडा भवन, नामकूम, राँची ।
5. उप माहाप्रबन्धक, सिडबी, राजेन्द्र चौक, राँची ।
6. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, इलाहाबाद बैंक, पारस कॉम्प्लेक्स, लालपुर चौक, राँची ।
7. महाप्रबन्धक, जिडको, राँची ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, नवार्ड, राँची के प्रतिनिधि।
9. श्री बजरंग जलान, चिरकुण्डा रिफ़ैक्ट्रीज कलस्टर, चिरकुण्डा, धनबाद ।
10. श्री बसन्त अग्रवाल, अध्यक्ष, झारखण्ड रिफ़ैक्ट्री मेकर एशोसियेशन, चिरकुण्डा, धनबाद ।
11. श्री डी0पी0 विद्यार्थी, उप उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची ।
12. श्री निरंजन तिकी, उप उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची ।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची ।
14. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग ।
15. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रा, धनबाद ।
16. श्री अवध किशोर, परियोजना प्रबन्धक-सह-प्रभारी जिला उद्योग केन्द्र, कैम्प कार्यालय, रामगढ़ ।
17. प्रबन्ध निदेशक, आदित्यपुर ऑटो कलस्टर विकास भवन, आदित्यपुर जिला सरायकेला-खरसावाँ ।
18. श्री शरद पोद्दार, झारखण्ड स्मॉल इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन, कोकर औद्योगिक क्षेत्र कोकर, राँची ।

सर्वप्रथम सचिव उद्योग द्वारा दिनांक 01.02.2013 को सम्पन्न कलस्टर विकास योजनाओं की बैठक से सम्बन्धित कृत कार्रवाई की समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों से कलस्टरों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई। चर्चा के क्रम में निम्नलिखित निर्णय लिए गये :-

1. (क) प्रबन्ध निदेशक, झारकाफ्ट, राँची द्वारा बताया गया कि Micro Clusters (90:10 GOI-SPV) के तहत विभिन्न कलस्टर, पोखरीकला, बेतला, लातेहार तथा ब्रास एवं ब्राउन्ज कलस्टर जरियागढ़ एवं विष्णुगढ़, हजारीबाग का DSR तथा DPR को recast कर तैयार कर लिया गया है, जिसे निदेशक-MSME, राँची से वार्ता कर भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति हेतु मार्च, 2013 में Advisor को दिखाकर भेज दिया जायेगा।

उक्त के क्रम में सचिव उद्योग-सह-अध्यक्ष द्वारा निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, राँची को निदेशित किया गया कि विकास आयुक्त का कार्यालय, (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम) भारत

सरकार, नई दिल्ली में प्राप्त DSR तथा DPR पर Monetering के लिए झारखण्ड भवन, नई दिल्ली में पदस्थापित (सम्पर्क पदाधिकारी) विभागीय प्रतिनिधि श्रीमति सुचित्रा सिन्हा (झा0प्र0से0), संयुक्त उद्योग निदेशक को अपने स्तर से पत्र भेजते हुए, सम्पर्क में रहेंगे।

- (ख) बम्बू कलस्टर, बुण्डू एवं सोनाहातु का DSR तैयार कर लिए जाने की सूचना प्रबन्ध निदेशक, झारकाफ्ट द्वारा दिया गया जिस पर MSME-GOI से तत्सम्बन्धित सहमति प्राप्त है। सचिव उद्योग सह अध्यक्ष द्वारा निदेशित किया गया कि DSR के साथ DPR को include कर एक ही साथ में तैयार किया जाय ताकि कलस्टर की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन में सहूलियत हो।
- (ग) प्रबन्ध निदेशक झारकाफ्ट, राँची तथा MSME - निदेशक द्वारा दिनांक 12.02.2013 को महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग के कार्यालय में संयुक्त बैठक आयोजित किये जाने तथा उसके फलाफल को सूचित करते हुए प्रबन्ध निदेशक, झारकाफ्ट, राँची द्वारा स्पष्ट किया गया कि चाँदी का जेवर/ज्वेलरी निर्माण कलस्टर, लारी, रामगढ़ के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाओं को संकलित कर लिया गया है। इससे सम्बन्धित detailed list तथा QSR निदेशक MSME को भेज दी गई है, जिसका DSR तैयार कर उसे भारत सरकार को online भेजी जायेगी। परियोजना प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रामगढ़ द्वारा चर्चा के क्रम में बताया गया कि ज्वेलरी कलस्टर के CFC तैयार किये जाने हेतु SPV द्वारा Society को 0.25 डिसमिल जमीन दान देने को तैयार है।
- (घ) हैण्डटूल कलस्टर, भेण्ड्रा, बोकारो का DSR तैयार कर Approval हेतु DI-MSME द्वारा भारत सरकार के कार्यालय को भेज दिये जाने की सूचना निदेशक-MSME द्वारा दी गई है। DPR के सम्बन्ध में इसे NIFFT, Ranchi के माध्यम से तैयार कराये जाने पर सचिव उद्योग सह अध्यक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

उपरोक्त विषय-वस्तुओं पर चर्चा के क्रम में निदेशक, हस्तशिल्प, रेशम एवं हस्तकरघा, झारखण्ड, राँची द्वारा बताया गया कि दुमका जिला में हस्तशिल्प/रेशम के कलस्टर को बढ़ावा देने के लिए देवघर जिला में अरबन हाट बनाने हेतु जमीन उपलब्ध हो चुका है। अरबन हाट double storied भवन तैयार किये जाने की योजना है, जिसमें एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं को प्रदान किया जायेगा।

2. **Food Processing Cluster:-** श्री शरद पोद्दार, JSIA द्वारा इस योजना से सम्बन्धित DSR तथा DPR तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही निदेशक, MSME को भारत सरकार से Approval के लिए उन्हें भेज दिया जायेगा। उनके द्वारा बताया गया कि 01 (एक) एकड़ भूमि तुपुदाना में उपलब्ध नहीं है। इस पर निदेशक, MSME द्वारा सुझाव दिया गया कि ओरमोंझी से गोला के बीच Private land की उपलब्धता की संभावना है। जिस पर श्री पोद्दार द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि आपस में मिल-बैठ कर निराकरण कर लेंगे।

3. **इंजीनियरिंग कलस्टर, तुपुदाना, राँची** – इस विषय-वस्तु पर चर्चा के क्रम में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची को सचिव उद्योग सह अध्यक्ष द्वारा निदेशित किया गया कि चूँकि GOI- MSME का inprinciple approval प्राप्त है, जिसे क्रियान्वित किये जाने हेतु निदेशक-MSME से सम्पर्क कर DPR शीघ्र तैयार करना सुनिश्चित किया जाय।
4. **उडेन फर्नीचर कलस्टर, राँची** :- इस योजना के सम्बन्ध में उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद की राँची इकाई के प्रतिनिधि द्वारा समर्पित DSR एवं DPR को निदेशक MSME द्वारा राज्य में वन क्षेत्र की कमी होने का कारण बताते हुए इस योजना को स्थगित करने का प्रस्ताव बैठक में उनके द्वारा दिया गया। इस पर सचिव उद्योग सह अध्यक्ष द्वारा इसपर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वन आधारित अन्य राज्यों में फर्नीचर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान परिवेश में भी इस राज्य में भी फर्नीचर उद्योगों के विकास की बहुत अधिक संभाव्यता है। अध्यक्ष द्वारा निदेशक-MSME को निदेश किया गया कि सम्बन्धित संस्थान को बुलाकर DPR पर विमर्शोपरान्त approval हेतु DPR भारत सरकार को भेजें।
5. **रिफ़ैक्ट्री कलस्टर, चिरकुण्डा**:- झारखण्ड रिफ़ैक्ट्री मेकर एसोसियेशन, चिरकुण्डा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा विषयांकित कलस्टर की इकाईयों की समस्याओं पर चर्चा के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि नई रिफ़ैक्ट्री इकाईयों की स्थापना Pollution Clearance के अभाव में नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक Maithan Power के छाई (Ash) से भी Refractory Bricks बनाने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा permission प्रदान नहीं किया जा रहा है। JSIA द्वारा इस विषय पर सुझाव दिया गया कि MSE को Pollution exemption किये जाने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया जाना चाहिए।
6. **पेड़ा उद्योग कलस्टर, देवघर** :- इस विषय वस्तु पर चर्चा के क्रम में प्रबन्ध निदेशक, झारकाफ्ट द्वारा सुझाव दिया गया कि इस उद्योग के संघ प्रतिनिधि से वार्ता अगले माह अप्रैल में करने के बाद इससे सम्बन्धित QSR तैयार कर लिया जायेगा। तदोपरान्त DSR तैयार कर Approval हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई किया जायेगा।
7. **पुरानी साड़ी का कलेण्डरिंग कलस्टर, चिरकुण्डा**:- इस योजना पर QSR तैयार करने के पूर्व प्रबन्ध निदेशक, झारकाफ्ट को स्थल भ्रमण कर वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का निदेश सचिव उद्योग-सह-अध्यक्ष द्वारा दिया गया।
8. **आदित्यपुर ऑटो कलस्टर, आदित्यपुर** :- इस योजना के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा मार्च, 2013 तक की कार्य योजना का लेखा-जोखा सचिव उद्योग-सह-अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बताया गया कि BSNL Civil Works से सम्बन्धित 21.00 लाख का विपत्र लम्बित है।

(a) Hi-Tech Lab के Plant and Machinery मद में approved Cost Rs. 3237.10 लाख रुपये के विरुद्ध 300 लाख रुपये का कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। माह जून, 2013 तक इसे पूरा करने का आश्वासन दिया गया।

(b) CETP :- प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस योजना में मशीन एवं संयंत्र (Approved cost Rs. 609.00 Lac) तथा भवन निर्माण (Approved Cost Rs. 200.00 Lac) Total approved cost Rs. 809.00 Lacs के विरुद्ध भारत सरकार से रू० 606.75 लाख अनुदान मद में राशि प्राप्त है। इस योजना अन्तर्गत फरवरी, 2013 तक कुल राशि 2132.50 लाख रुपये का निर्गत कार्यादेश के विरुद्ध रू० 29.87 लाख रुपये व्यय होने की सूचना दी गई। शेष माह सितम्बर, 2013 तक पूरा होने की सूचना दी गई है।

(c) HWMF :- प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि इस योजना का अनुमोदित व्यय की राशि रू० 10.40 करोड़ के विरुद्ध GOI-gram Rs. 7.80 करोड़ रुपये प्राप्त है। इस योजना अन्तर्गत कुल उपलब्ध निधि रुपये 1471.40 लाख रुपये में फरवरी, 2013 तक रू० 1016.09 लाख रुपये का व्यय किये जाने की सूचना तथा लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया।

SPV एवं Stackholders से अबतक 110.00 करोड़ रुपये का Collection होने तथा मार्च, 2013 तक 8.00 करोड़ रुपये अतिरिक्त Collection प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा करने का आश्वासन दिया गया।

इस योजना से सम्बन्धित मार्च, 2013 तक संभावित व्यय की योजना उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा निम्नवत् समर्पित किया गयाप :-

Planning for March, 2013

Sl. No.	Particulars	Amount (Rs. in Lac)
1.	BSNL Civil (Bill is under process)	21,00,000
2.	BSNL Civil (Bill to be raised)	60,00,000
3.	Ramky Enviro Eng. Ltd.	1,50,00,000
4.	Jusco (For Power Connection)	25,00,000
5.	Advance 50% (Tender Finalized and sent for publication)	
	(i) Lab Equipments	4,50,00,000
	(ii) Books for Labs	50,00,000
	(iii) Lift	15,00,000
	(iv) Transformer	5,00,000
	(v) D.G. nSet	10,00,000
	(vi) Advance Tax	12,00,000
	Total -	7,98,00,000

विमर्शोपरान्त सचिव उद्योग सह अध्यक्ष द्वारा निदेशित किया गया कि कार्य में प्रगति संतोषप्रद नहीं है, जिसे जुलाई, 2013 तक अवश्य पूरा करें। साथ ही, यह भी निदेशित किया गया कि शीघ्र Escrow Account खोला जाय।

उपर वर्णित सभी कलस्टर विकास से सम्बन्धित योजनाओं पर उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के उपरान्त बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई तथा अगली बैठक पूर्व के निर्णयानुसार दिनांक 01 अप्रील, 2013 को आयोजित की जायेगी।

ह0/-

सचिव उद्योग
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक..... 820 / राँची, दिनांक 18/03/2013

09/उ0नि0/कलस्टर(बैठक)-16/2009

प्रतिलिपि- निदेशक, हस्तकरघा रेशम एवं हस्त शिल्प निदेशालय, झारखण्ड, राँची/प्रबन्ध निदेशक, झारकाफ्ट, रातु रोड, राँची/निदेशक, MSME, न्यू रियाडा भवन, नामकूम, राँची/उप महाप्रबन्धक, सिडबी, राजेन्द्र चौक, राँची/संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, इलाहाबाद बैंक, पारस कॉम्प्लेक्स, लालपुर चौक, राँची/महाप्रबन्धक, जिडको, राँची/मुख्य महाप्रबन्धक, नवार्ड, राँची के प्रतिनिधि/श्री बजरंग जलान, चिरकुण्डा रिफ़ैक्ट्रीज कलस्टर, चिरकुण्डा, धनबाद/श्री बसन्त अग्रवाल, अध्यक्ष, झारखण्ड रिफ़ैक्ट्री मेकर एसोसियेशन, चिरकुण्डा, धनबाद/श्री डी0पी0 विद्यार्थी, उप उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची/श्री निरंजन तिर्की, उप उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची /महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रा, धनबाद/श्री अवध किशोर, परियोजना प्रबन्धक-सह-प्रभारी जिला उद्योग केन्द्र, कैम्प कार्यालय, रामगढ़/प्रबन्ध निदेशक, आदित्यपुर ऑटो कलस्टर विकास भवन, आदित्यपुर जिला सरायकेला-खरसावों/श्री शरद पोद्दार, झारखण्ड स्मॉल इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, कोकर औद्योगिक क्षेत्र कोकर, राँची/सचिव उद्योग के प्रधान निजी सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उप उद्योग निदेशक
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक..... 820 / राँची, दिनांक 18/03/2013

09/उ0नि0/कलस्टर(बैठक)-16/2009

प्रतिलिपि- श्रीमती सुचित्रा सिन्हा(झा0प्र0से0) संयुक्त उद्योग निदेशक-सह-सम्पर्क पदाधिकारी, झारखण्ड भवन, कुसुम पहाड़ी, बसन्त बिहार, नई दिल्ली-1100011 को सूचनार्थ प्रेषित। (फोन नं0 011-2673905/26739032/26739022/मो0 नं0 09810665262, e-mail-suchitra.m.sinh@gmail.com)

उप उद्योग निदेशक
झारखण्ड, राँची